छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2009 (श्रावण 2, 1931)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2008-2009 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007 एवं 2008 पटल पर रखेंगे.

(3) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008) पटल पर रखेंगे.

(4) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2003-04 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री हेमचन्द यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री हेमचन्द यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन 2007-08 (1 जुलाई, 2007 से 30 जून, 2008) पटल पर रखेंगे.

(7) श्री हेमचन्द यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा संपरीक्षा वित्तीय वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जिला बिलासपुर में आर. इन्टरप्राईजेस द्वारा सिम्स से मिली भगत कर नारकोटिक एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंधित दवाईयों का व्यापार किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, साजा विधान सभा क्षेत्र में किसानों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रामजी भारती, सदस्य, जिला राजनांदगांव, विकासखण्ड खैरागढ़ एवं छुईखदान में रोजगार गारंटी योजना का कार्य समय पूर्व बंद किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री गुरू रूद्रकुमार, अजीत जोगी, सदस्य, नई राजधानी क्षेत्र के प्रभावित किसानों को अत्यंत कम मुआवजा दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमश: 2

(5) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य, औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा, बोरझरा में स्थापित उद्योगों से प्रदूषण फैलने की ओर आवास एवं पर्यावरण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री नंद कुमार पटेल, अजीत जोगी, गुरू रूद्रकुमार, सदस्य, प्रदेश में ट्रांसफार्मर खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, जिला रायगढ़ विकासखण्ड पुसौर में आंत्र-शोध की बीमारी फैलने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी मशीन खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य, जिला रायपुर में कालोनाइजर द्वारा नहर पर अतिक्रमण कर बाऊंड्रीवाल बनाये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, जिला बिलासपुर में शासकीय नजूल भूमि को भू-माफियाओं के नाम किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री नंद कुमार पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, जिला जशपुर, रायगढ़ एवं कोरबा में हाथियों द्वारा जन-धन को हानि पहुंचाये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जिला कोरबा में लेमरू हाथी परियोजना क्षेत्र में नकिया कोल ब्लाक आवंटित किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री नंद कुमार पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, महंत रामसुन्दर दास, सदस्य, जिला रायगढ़ में जाति प्रमाण पत्र न बन पाने से एक छात्रा द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जिला जांजगीर-चाम्पा में कर्रनाला बांध निर्माण कार्य बंद करने व किसानों को मुआवजा न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री नंद कुमार पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, प्रदेश में नकली नोट का कारोबार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री ताम्रध्वज साहू, राजकमल सिंघानिया, सदस्य, प्रदेश की सहकारी समितियों द्वारा बीज तथा खाद वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) डॉ. शक्राजीत नायक, श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, प्रदेश में भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, प्रदेश में मादक द्रव्यों की तस्करी होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री नंदकुमार पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, जिला जशपुर तथा रायगढ़ में सर्पदंश से मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री राजू सिंह ठाकुर, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी अंतर्गत उपसंभाग महासमुन्द के प्रभारी अधिकारी द्वारा आर्थिक अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री लेखराम साहू, सदस्य, कुरूद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करेलीबड़ी में संचालित हायर सेकण्डरी स्कूल हेतु भवन निर्माण करने,

(2) श्री राजू सिंह ठाकुर, सदस्य, तखतपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम करही स्थित नर्मदा नदी पर तटबंध निर्माण करने,

(ii) मुख्यमार्ग से ग्राम जरेली-करही तक पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(iii) ग्राम पेण्ड्री में नलजल योजना स्वीकृत करने,

(iv) नगर पंचायत तखतपुर में संचालित शासकीय जे.एम.पी. उच्चतर माध्यमिक शाला में वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने,

(v) नगर पंचायत तखतपुर में संचालित शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय में गणित विषय में स्नातकोत्तर संकाय प्रारंभ करने,

क्रमशः 3

(3) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जिला जांजगीर-चाम्पा अंतर्गत-

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक -200 में जांजगीर एवं चाम्पा नगर के बीच स्थित हसदेव नदी पर नया पुल निर्माण करने,

(ii) जिला मुख्यालय जांजगीर में कृषि महाविद्यालय खोलने,

(4) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, जिला बिलासपुर के तहसील लोरमी अंतर्गत -

(i) लोरमी में 132 के. व्ही. विद्युत सब स्टेशन निर्माण करने,

(ii) ग्राम देवरहट में 33/11 के. व्ही. विद्युत सब स्टेशन निर्माण करने,

(iii) ग्राम छिरछुट्टी से ग्राम जरहा गांव मुख्यमार्ग तक सड़क निर्माण करने,

(iv) ग्राम लगरा में 33/11 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन निर्माण करने,

(5) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जिला जांजगीर-चाम्पा अंतर्गत -

(i) विकास खण्ड अकलतरा अंतर्गत ग्राम पिपरसत्ती में लीलागर नदी पर एनीकट सह पुल निर्माण करने,

(ii) विकास खण्ड अकलतरा अंतर्गत ग्राम अर्जुनी में हाई स्कूल खोलने,

(iii) विकास खण्ड अकलतरा अंतर्गत ग्राम अर्जुनी से रेमण्ड (लाफार्ज सीमेंट) होकर मुख्य मार्ग तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण करने,

(iv) लीलागर पुल से क्रोकोडायल पार्क तक पक्की सड़क निर्माण करने,

(v) नगर पंचायत अकलतरा में संचालित डॉ. इन्द्रजीत महाविद्यालय में बाऊंड्रीवाल निर्माण करने,

(vi) विकासखण्ड बलौदा अंतर्गत ग्राम गतवा में हाई स्कूल खोलने,

(vii) विकासखण्ड अकलतरा अंतर्गत ग्राम साकर में हाई स्कूल खोलने,

(6) श्री देवजी पटेल, सदस्य,धरसींवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) विकास खण्ड धरसींवा के ग्राम गिरौध में हाई स्कूल खोलने,

(ii) विकास खण्ड धरसींवा के ग्राम तेंदूवा में हाई स्कूल खोलने,

(iii) विकास खण्ड तिल्दा के ग्राम बेल्दार सिवनी में हाई स्कूल खोलने,

(iv) विकास खण्ड धरसींवा के ग्राम सिलयारी में संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु नवीन भवन निर्माण करने,

(7) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य, प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) राजस्व अनुविभाग प्रतापपुर के ग्रामों को पुलिस जिला सूरजपुर से अलग कर पुलिय जिला अम्बिकापुर में सम्मिलित करने,

(ii) ग्राम सरहरी में हायर सेकण्डरी स्कूल खोलने,

(8) श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य, पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम पंचायत जोगीडिपा से मुरली के मध्य नाला में पुल निर्माण करने,

(ii) पामगढ़ में शासकीय महाविद्यालय खोलने,

(9) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य, कसडोल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड पलारी में संचालित शासकीय बृजलाल महाविद्यालय में विज्ञान, वाणिज्य एवं भूगोल संकाय प्रारंभ करने,

(10) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, सदस्य, सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम कोसमंदा एवं ग्राम सिवनी में नलजल योजना स्वीकृत करने,

(ii) विकासखण्ड बलौदा अंतर्गत ग्राम कोसमंदा में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने,

(iii) विकासखण्ड बम्हनीडीह अंतर्गत ग्राम सोनियापाट से सारागांव तक सड़क निर्माण करने,

(11) श्री बोधराम कंवर, सदस्य, जिला कोरबा, विकासखण्ड पाली अंतर्गत -

(i) ग्राम उतरदा में आदिवासी बालिका छात्रावास खोलने,

(ii) ग्राम हरदीबाजार में संचालित बालक हायर सेकण्डरी स्कूल हेतु भवन निर्माण करने,

(iii) ग्राम उतरदा में कन्या हाई स्कूल खोलने,

(iv) ग्राम हरदीबाजार में संचालित कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु भवन निर्माण करने तथा

(v) ग्राम हरदीबाजार में कन्या पोस्ट मेट्रिक आदिवासी छात्रावास स्वीकृत करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

क्रमशः 4

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री हेमचंद यादव, तकनीकी शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 7 सन् 2009) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

15 मिनट (1) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 5 सन् 2009) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (2) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 6 सन् 2009) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (3) श्री हेमचंद यादव, तकनीकी शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 7 सन् 2009) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

7. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट (1) रायपुर राजधानी सहित प्रदेश में उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के मापदण्डों का पालन न करने के कारण पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति की ओर सर्वश्री देवजी पटेल, गुरू रूद्रकुमार, रविन्द्र चौबे, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घंटा 30 मिनट (2) प्रदेश में अल्पवर्षा से उत्पन्न स्थिति की ओर श्री नंद कुमार पटेल, श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

8. अशासकीय संकल्प

1 घंटा (1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ प्रदेश में की जाय."

1 घंटा (2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि "प्रदेश के स्पंज आयरन उद्योगों में निरीक्षण के दौरान प्रदूषण निवारण यंत्र (ई.एस.पी.) बंद पाए जाने पर उद्योग को लाइसेंस 01 वर्ष तक के लिये निलंबित किया जाय."

30 मिनट (3) श्री देवजी पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि हावड़ा-कोलकाता से कोरापुट तक चलने वाली एक्सप्रेस तथा भुवनेश्वर से कोरापुट तक चलने वाली हीराकुण्ड एक्सप्रेस को क्रमश: हावड़ा से जगदलपुर तथा भुवनेश्वर से जगदलपुर तक चलाया जाय."

रायपुर

दिनांक 23 जुलाई, 2009

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.